न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/135/2020, रजि0 न0 2020/00266

अपीलार्थीः–

रोहताश पुत्र श्री शिवदयाल, ग्राम नांगल नजदीक नांगल मोड, डाकघर, तहसील अटेली, जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सक्षम प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी नीमराना,जिला अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 23.02.2021

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 30.10.2020 प्रस्तुत कर ग्राम काठूवास तहसील नीमराणा (अलवर) के अन्तर्गत हुए सर्वेक्षण (राष्ट्रीय राजगार्ग–11) से संबंधित तथ्यों पर बिन्दुवार सूचना चाही गई। उक्त आवेदन दिनांक 30.10.2020 राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर द्वितीय, अलवर कार्यालय द्वारा पत्रांक लो.सू.अ./अन्तरण/2020/149–50 दिनांक 18.11.2020 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग/उपखण्ड अधिकारी नीमराणा को अन्तरित किया गया है।
2. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आवेदक को उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 30.10.2020 में वर्णित तथ्यों पर सूचनाऐं उपलब्ध नही कराये जाने पर आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 28.12.2020 का प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि उसे सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. प्रथम अपील प्राप्त होने पर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी को नोटिस के माध्यम से तलब किया गया। जवाब प्राप्त नही होने पर बार–बार नोटिस जारी करने के बावजूद भी प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से आदिनांक कोई उपस्थित नही हुआ ओर ना ही किसी प्रकार का जवाब नोटिस प्राप्त हुआ तथा अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 23.02.2021 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया, लोक सूचना अधिकारी पदेन सक्षम प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी नीमराना, से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। जिससे जाहिर है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।
5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी पदेन सक्षम प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी नीमराना, को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को वांछित सूचना यदि नियमों के अनुसार देयता की श्रेणी में आती हो, तो 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करवावें।
6. निर्णय दिनांक 23.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर, अलवर